न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/83

1. गोपाल पुत्र श्रीया
2. पुखराज पुत्र श्रीया
3. मीठालाल पुत्र श्रीया
4. रामजीलाल पुत्र श्रीया
5. रामफूल पुत्र श्रीया
6. अमर सिंह पुत्र हरिनारायण
7. मुरारी पुत्र हरिनारायण
8. सन्तरा पुत्री हरिनारायण
9. दुर्गा पत्नी हरिनारायण
10. बरजी पुत्री श्रीया
11. भौरी पुत्री श्रीया
12. हीरा पुत्री श्रीया
13. दयाराम पुत्र फैली
14. बाबूलाल पुत्र फैली
15. मूली उर्फ भूली पत्नी फैली

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम चांदसेन, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. कल्याण पुत्र गोपी
2. मनफूली उर्फ रामफूली पत्नी कल्याण

समस्त जाति गुर्जर, निवासी चांदसेन, तहसील लालसोट, जिला दौसा।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 26.06.2023 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी कल्याण व अन्य बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नंबर 72/2023 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री रमेश चन्द सैनी, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री कृष्णा सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 09.04.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.06.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.07.2024 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 96, 100, 101, 406/105, 7/105, 414/105 वाके ग्राम चांदसैन, तहसील लालसोट, जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये गये कि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आराजी खसरा नम्बर 96, 100, 101, 406/105, 7/105, 414/105 वाके ग्राम चांदसैन, तहसील लालसोट, जिला दौसा में स्थित भूमि का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कायम करने हेतु दो गिरदावर व दो कुशल पटवारीयान की टीम गठित कर उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी कायम करवायी जावे तथा आवश्यकता पड़ने पर एस.एच.ओ. लालसोट से पुलिस इमदाद प्राप्त करें एवं नियमानुसार राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से प्राप्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2023 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 26.06.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स गोपाल पुत्र श्रीया व अन्य ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 26.06.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारान को पक्षकार दर्ज किये बिना अविधिक प्रकार से तहसीलदार लालसोट से सांठ–गांठ कर तहसील कार्यालय लालसोट के बन्द कमरे मे बैठकर तथ्यात्मक व मौका रिपोर्ट बनवाकर विचारण न्यायालय की पत्रावली में शामिल करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा एकतरफा में प्रकरण का निस्तारण रेस्पो० (प्रार्थीगण) के हक में करते हुये विधि विरूद्ध तरीके से आक्षेपित निर्णय पारित किया गया जबकि उक्त निर्णय में अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि ख० नं० 98, 99 आदि प्रभावित हो रही है तथा उक्त निर्णय की आड में अपीलान्ट की भूमि को अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है जबकि वस्तु स्थिति में अपीलान्ट्स अपनी सहखातेदारी की भूमि ख० नं0 98, 99 की पूर्व में तत्कालीन हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाने के बाद मौके पर मिट्टी की कच्ची डोल बनाकर अपीलान्ट्स अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काश्तकर लाभान्वित होते चले आ रहे है। फिर भी रेस्पो० अपने कलूषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रेस्पो०/प्रार्थीगण द्वारा गलत प्रकार से न्यायालय श्रीमान को गुमराह करते हुये प्रार्थना पत्र पेशकर गलत निर्णय अपने हक में दिनांक 26.06.2023 को पारित करवा लिया गया है जो प्रथमतः ही निरस्तनीय है।

विचारण न्यायालय के समक्ष हुई कार्यवाही में न तो अपीलान्ट्स को बतौर पक्षकार दर्ज किया गया है न ही प्रक्रियाओं का पालन किया गया तथा मनमाने प्रकार से विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया है जो तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण में जो रेस्पो० सं० 3 से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई उसकी तहरीर रिपोर्ट विचारण न्यायालय ने रेस्पो० सं० 3 तहसीलदार लालसोट को कब और किस दिनांक को जारी की गई है उसका अंकन विचारण न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कही भी आदेशिका में अंकित नहीं है जहां तक की विचारण न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 05.06.2023 को अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी हेतु आदेशिका लिखकर आगामी पेशी दिनांक 26.06.2023 नियत कर उसके उपरान्त आदेशिका में दिनांक 26.06.2023 को कही पर भी अप्रार्थी तहसीलदार की उपस्थिति या एक तरफा कार्यवाही का हवाला दिये बिना ही उक्त प्रकरण का विचारण न्यायालय द्वारा आंख बन्द कर पत्रावली का अवलोकन किये बिना दिनांक 26.06.2023 को निर्णय पारित कर दिया गया है जो प्रथमतः ही निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द दिनांक 25.05.2023 जो हल्का पटवारी चांदसेन द्वारा प्रस्तुत करना बतलाया गया है वह मौका फर्द तहसील कार्यालय के बन्द कमरे में बैठकर प्रार्थीगण/रेस्पो० से सांठ–गांठ कर प्रार्थीगण के परिवारजन के हस्ताक्षर करवाकर उक्त मौका रिर्पोट प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी दिनांक 25.05.2023 को मौके पर जाता तो अपीलान्ट्स को भी बुलाता परन्तु हल्का पटवारी चांदसेन दिनांक 25.05.2023 को मौके पर नहीं जाकर तहसील कार्यालय में बैठकर मौका फर्द बनाई गई है। जिस पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन प्रकरण में बिना गौर किये मौका फर्द पर निर्णय पारित कर दिया गया। धारा 128 एल.आर.एक्ट के आवेदन में रेस्पो०

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नं0 1 ने यह स्पष्ट कथन किया गया था कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी पूर्व में हो चुका है परन्तु पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई जिससे धारा 111 एल आर एक्ट के प्रावधानों की पालना हो सके फिर भी विचारण कोर्ट के पीठासीन अधिकारी द्वारा मनमर्जी पूर्वक सारे नियम कायदे कानूनों को ताक में रखकर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया।

विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस को जान बूझकर पक्षकार दर्ज नहीं किया गया है जबकि आक्षेपित निर्णय से अपीलान्ट्स भी प्रभावित तथा व्यथित है क्योंकि आक्षेपित निर्णय के पश्चात् दिनांक 25.06.2024 को राजस्व कर्मचारियों व पुलिस के साथ रेस्पो० सं० 1 व 2 आये तथा अपीलान्ट्स की भूमि की नाप जोप करने लग गये तथा अपीलान्ट्स से कहा कि आप भी हस्ताक्षर करो जिस पर अपीलान्ट्स ने कहा कि हम खाली कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करेगें तथा किस बात के हस्ताक्षर करे तब रेस्पो०/प्रार्थीगण सं० 1 व 2 ने चेतावनी देकर कहा कि मैनें कोर्ट से अपने पक्ष में आदेश करवा लिया है इस जगह पर पत्थर गढवायेगें तथा तुम्हें बेदखल करके रहेगें तथा तुम्हारी भूमि होकर रास्ता निकालकर रास्ते में खडे पेड पौधों को ध्वस्त कर देगें तब उसी दिन अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय में आकर पत्रावली तलाश कर नकल हेतु दिनांक 02.07.2024 को आवेदन कर उसी दिन नकल प्राप्त होते ही उक्त अपील श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत की जा रही है तथा आक्षेपित निर्णय से अपीलान्ट्स व्यथित तथा प्रभावित पक्षकार है। यदि अपील पेश करने में देरी मानी जावे तो धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 26.06.2023 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 26.06.2023 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 96, 100, 101, 406/105, 7/105, 414/105 वाके ग्राम चांदसैन, तहसील लालसोट, जिला दौसा में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2023 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जावे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला

दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.06.2024 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल दिनांक 02.07.2024 को प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट्स द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट्स की भूमि स्थित है। वकील रेस्पोडेन्ट ने भी बहस के दौरान कथन किया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हैं। दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जावे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट्स उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर